खुद का पक्का मकान नहीं, किराएदारी में कर रहे हैं निवास तो यह योजना आपके लिए है लाभदायी, मोर मकान-मोर चिन्हारी की योजना से मिलेगा आवास

भिलाई नगर/ हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका खुद का घर हो जहां वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह सके। परंतु कई अभाव के कारण चाहे वह आर्थिक स्थिति हो या जमीन खरीदने की समस्या या फिर मकान निर्माण करने की समस्या हो। कई कारणों से कमजोर वर्ग आए के परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इन समस्याओं को दूर करने शासन से एक अच्छी स्कीम ऐसे वर्गों के लिए आई है। जिनके पास देश में किसी भी स्थान पर पक्का आवास नहीं है , 31 अगस्त 2015 के पूर्व भिलाई में निवासरत है , जिनकी आय 3 लाख से कम है , किरायेदारी में निवास कर रहे है और छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी है। इन्हें मोर मकान-मोर चिन्हारी के तहत आवास का लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम नाला , केनाल, झुग्गी, झोपड़ी, स्लम एरिया में निवासरत लोगों को मोर मकान-मोर चिन्हारी के तहत आवास देने की योजना है , ऐसे परिवारों को आवास योजना से जोड़ने अंतिम अवसर दिया जा रहा है उन्हें सूचना देकर 30 दिवस के भीतर निर्धारित राशि एवं दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र , जन्म प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ निवासरत होने का साक्ष्य , दिव्यांग हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र , पट्टा हो तो पट्टा की मूल प्रति , बैंक पासबुक की छाया प्रति , शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जमा करने की सूचना दी जा रही है। इन हितग्राहियों के आवास नहीं लेने पर किराएदारी में रह रहे लोगों को आवास देने का मौका मिलेगा जिसके लिए जल्द ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मोर मकान-मोर चिन्हारी के तहत माइलस्टोन स्कूल खमरिया में 810, ग्रीन वैली खमरिया में 84, सूर्या विहार मॉल के पास खमरिया में 1120, सूर्या विहार मॉल के पीछे खमरिया में 493, कोहका में 58, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खमरिया में 322 एवं एनआर स्टेट खमरिया में 210 मकान का कार्य निर्माणाधीन और प्रगति पर है, इनमें से अधिकतर मकानों का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है , केवल कुछ कार्य जैसे पानी , बिजली के कार्य ही शेष है। निर्मित मकानों की बात करें तो सर्व सुविधा युक्त आवास में पानी , बिजली, सड़क, नाली जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद है और एक आलीशान कॉलोनी से कम का मंजर नहीं दिखाई देता। अम्रपाली वनांचल सिटी में 312, शांति नगर कोहका में 36, ट्रेंचिंग ग्राउंड कुरूद के समीप 32 इस प्रकार कुल 380 मकान हितग्राहियों के लिए पूरी तरीके से रहने के लिए तैयार हो गए हैं। कई हितग्राही आबंटन के पश्चात इसमें निवासरत भी है। महापौर नीरज पाल ने आवास योजना का लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए है। वही आयुक्त प्रकाश सर्वे ने मोर मकान-मोर चिन्हारी योजना के तहत आवास का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास योजना के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें और निरंतर इसकी मानिटरिंग करते रहे। महापौर व आयुक्त के निर्देश के परीपालन में योजना की प्रभारी अधिकारी विनीता वर्मा ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और इस आधार पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।